

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/1197 /

जबलपुर, दिनांक 06/02/2024

II-13-4/24

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/ चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्री अनिल नेगी, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर की मृत्यु दिनांक 21/11/2023 को हो जाने के फलस्वरूप पात्रतानुसार 300 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान मृतक की पत्नी श्रीमती भारती नेगी को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही/-

(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/1198 /

जबलपुर, दिनांक 06/02/2024

II-13-4/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/3068/लेखा/2023 इंदौर, दिनांक 26/12/2023 के संदर्भ में स्व. श्री अनिल नेगी, अशर का अवकाश लेखा मूलतः एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. ए.ओ. (जे) स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/1
5.2.24.
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)